न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2009 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2009/00103

उनवानी :–

1– छत्तरसिंह पुत्र प्रेमराज जाति गछवाया ठाकुर निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर – मृतक

1/1– हुकमसिंह पुत्र स्व0 छत्तरसिंह

1/2– गीता पत्नी जगन्नाथ

1/3– भावना पुत्री जगन्नाथ पौत्री छत्तरसिंह

1/4– निधि पुत्री जगन्नाथ पौत्री छत्तरसिंह

1/5– नितिन पुत्र स्व0 जगन्नाथ पौत्र छत्तरसिंह

1/6– निशान्त पुत्र जगन्नाथ पौत्र छत्तरसिंह

नावा लिगान द्वारा मॉ गीता जाति कुशवाह निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर।

1/7– प्रार्थी उर्फ प्रेमवती पुत्री छत्तरसिंह पत्नी भगवानसिंह जाति कुशवाह निवासी ताजगंज आगरा उ.प्र.।

1/8– अनारो पुत्री छत्तर पत्नी कमलसिंह जाति कुशवाह निवासी सेवला जाट ग्वालियर रोड आगरा उ.प्र.।

1/9– भूदेवी पुत्री छत्तरसिंह पत्नी ब्रहा जाति कुशवाह निवासी बुद्धाधानोनी तहसील व जिला आगरा उ.प्र.।

1/10– कुसमलता पुत्री छत्तरसिंह पत्नी राजेश जाति कुशवाह निवासी बुद्धा का नगला धानौली तहसील व जिला आगरा उ.प्र.।

2– सियराम पुत्र प्रेमराज जाति कुशवाह ठाकुर निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांटान––––––––––––

बनाम

1– दीनबन्धु पुत्र पीताम्बर जाति कुशवाह ठाकुर निवासी चकदारापुर न02 तहसील व जिला भरतपुर – मृतक

1/1– अर्जुन

1/2– लाखन सिंह

1/3– अमरसिंह

पुत्रान दीनबन्धु जाति कुशवाह ठाकुर निवासी चक दारापुर न0 2 तहसील व जिला भरतपुर ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/4– सौमोती विधवा दीनबन्धु

1/5– प्रेम } पुत्री दीनबन्धु

1/6– पूरनदेई }

स्पो0––––––

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 17.07.09 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 156/03 शीर्षक छत्तरसिंह आदि बनाम दीनबन्धु

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह

2– श्री दिनेशचंद शर्मा रैस्पो0

निर्णय दिनांक 03.04.2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आ" ाय की पे" ा की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 66/0.30 स्थित ग्राम चक दारापुर न02 तहसील व जिला भरतपुर मे स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी अपीलर्थी को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया है। जिसे अपास्त किया जा कर अपीलार्थी को विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण के खातेदारी के गत खसरा नम्बर 198 मिन से निर्मित है। प्रत्यर्थी के खातेदारी का कोई भी रकबा इस खसरा नम्बर मे शामिल नही किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना आधार एवं आदेश के प्रत्यर्थी का नाम विवादित आराजी मे आधे हिस्से मे दर्ज कर दिया है जो गलत है अतः अपीलार्थी को विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पे" ा कियेः–

1– आर.आर.टी. 2003(1) पेज नम्बर 273

2– डी.एन.जी. (राज.) 2000 पेज नम्बर 33

3– आर.बी.जे. (15) 2008 पेज नम्बर 776

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने कई भी यह प्रकट नही किया है विवादित आराजी किस खसरा नम्बर से बने है। मिलान क्षेत्रफल के हिसाब से विवादित आराजी खसरा नं0 199 मिन एवं 252/198 मिन से बना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने 252/198 मिन की नकल जमाबन्दी पेश नही की है और न ही गत एवं हाल नक्शा पेश किया है अपीलार्थी ने इस तथ्य का छिपाया है कि हाल सेटलमेण्ट मे अपीलार्थी

का कुल कितना रकबा कम या बेसी आया है अतः अपील खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पे" ा किये।

1– 1993 आर.आर.डी. पेज नं0 246(A)

2– 199 आर.बी.जे. पेज नं0 310

3– 1999 आर.बी.जे. पेज नं0 193

4– 1999 आर.बी.जे. पेज नं0 158

बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है। कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदे" ा आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official